कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–1 / 823 / 2021 / 10–11 / 3054 भोपाल, दिनांक 09/09/2021

प्रति,

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली–110003

विषयः–वन मंडल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढ़न के ग्राम मुहैर व पड़री के कक्ष क्र. RF-276, 281 & PF-277, 278, 279 के रकबा 622.783 हे. वनभूमि में ब्लॉक–बी ओपन कास्ट कोयला उत्खनन हेतु NCL का व्यपवर्तन का आनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/44294/2020

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-08/2021-FC दिनांक 26 / 08 / 2021

––0––

विषयांकित परियोजना के संबंध में आपके द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 26 / 08 / 2021 से तीन बिन्दुओं पर जानकारी चाही है जो निम्नानुसार हैः–

- As per the approval mining plan for the project, the project area is mentioned as 2257.17 ha. After superimposing this project boundary on the DSS portal, the total forest area inside the project boundary comes out to be only 1078.39 ha (total forest area inside project) - 447 ha (forest area diverted earlier) 631.39 ha. The state government is requested to submit the reason for difference in forest area.

  नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा पत्र क्र. 1065 दिनांक 08 / 09 / 2021 से अवगत कराया है कि माईनिंग लीज कुल क्षेत्रफल 2257.17 हे. के अन्तर्गत कुल वनभूमि का पुनः सर्वे किया गया है। लीज में वनभूमि कुल 1078.39 हे. है एवं इसी वनभूमि में पूर्व की प्रत्यावर्तित वनभूमि 447.00 हे. भी शामिल है। अतः 631.39 हे. वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु अभी भी शेष बची है। लीज के अन्तर्गत शेष बची हुई सम्पूर्ण वनभूमि 631.39 हेक्टयर की KML फाईल संलग्न प्रस्तुत है जिसमें कक्षवार वनभूमि का ब्रेकअप दिया गया है।

  आवेदक संस्था द्वारा KML फाईल में पूर्व से स्वीकृत वनक्षेत्र रकबा 447.00 हे. को मध्य में गहरे पीले रंग से तथा 2257.17 हेक्टेयर की लीज बाउण्ड्री को लाल रंग से दर्शाया गया है।

- The DFO/CF concerned have mentioned that the proposed area is part of Elephant corridor as per the Working plan. The State Govt. shall therefore submit the copy of Working plan along whit the approval details. The comments of the Chief Wildlife warden in this regard along with the minigation measures proposed for the landspcape shall also be submitted.

  वन मंडल अधिकारी सिंगरौली द्वारा पत्र क्र. 3854 दिनांक 09 / 09 / 2021 से अवगत कराया है कि प्रकरण में प्रभावित वनक्षेत्र वन मंडल सिंगरौली की कार्य आयोजना में कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा हाथी कॉरीडोर के रूप में दर्शाया गया है। विषयांकित एवं इसके आस–पास का क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से हाथी कॉरीडोर रहा है। इस क्षेत्र में खदानों की स्वीकृति एवं अन्य कारणों से कॉरीडोर का विघटन हुआ है एवं पिछले कई वर्षो से यहाँ पर

हाथियों की उपस्थिति नहीं पाई गई है। जिसके संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी बैढ़न के पत्र क्र. 1841 दिनांक 09/09/2021 से प्रतिवेदन भी प्राप्त किया गया, जिसमें लेख है कि उक्त परियोजना में प्रभावित वनक्षेत्र एवं आस–पास के वनक्षेत्र में विगत 10 वर्षो से हाथी का विचरण नहीं देखा गया है।

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में दुधीचुआ परियोजना (467.809 हेक्टेयर) तथा बीना कांकरी (390.264 हेक्टेयर) में भी मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल द्वारा इस संबंध में यही टीप दी है।

- As per DSS analysis is has been observed that :

a. Forest area 1.45 Ha in Forest Compt. No. PF-277 proposed for diversion appears to be already broken and under non-forestry use. The state govt. may therefore intimate the complete details of violation of FCA, 1980 in the instant case.

b. From the satellite imagery data it came to notice that, the respective user agency's of Gorbi Block-B mine (447 Ha forest land diverted) and Sasan mine (1064.02 ha forest land diverted) have not created any safety zones on the periphery of their project boundaries. The state govt. has to explain this lacuna.

वन मंडल अधिकारी, सिंगरौली द्वारा अवगत कराया गया है कि कक्ष क्र. पी.एफ.– 277 में पूर्व प्रत्यावर्तित की गई वनभूमि का कौके पर बने हुये पिलर के आधार पर पुनः सर्वे किया गया जिसमें 1.45 हेक्टेयर वनभूमि पूर्व प्रत्यावर्तित वनभूमि का हिस्सा पाया गया है। जिसकी KML फाईल संशोधित कर संलग्न है।

आवेदक संस्था द्वारा पत्र दिनांक 08/09/2021 में Adjoining mining सेफ्टी जोन का निर्माण नहीं किए जाने के निम्न कारण प्रस्तुत किये हैः–

a. Adjoining mining की स्थिति में सेफ्टी जोन का निर्माण दोनों तरह से करने पर कोल फेस दोनों तरह से Expose होगा जिससे Exothermic Reaction के कारण Incubation Period (लगभग 5–6 महीने) के अंदर कोयले में आगल लग जाएगी जिसकी वजह से सेफ्टी जोन में स्थित वृक्ष झुलस के नष्ट हो जाएंगे।

b. सेफ्टी जोन की वजह से Exposed Coal में आग लगने के कारण हानिकारक गैसों का रिसाव होगा जिससे पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचेगा।

c. सेफ्टी जोन की वजह से पूर्ण रूप से कोयला का खनन नहीं किया जा सकता है। तथा कोयला दोनों तरफ से Exposed होने के कारण जल जाएगा, जिससे काफी मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्त्रोत कोयला का नुकसान होगा। उक्त स्थिति में Exposed कोयला का खनन नहीं करना प्राकृतिक संसाधनों के विरूद्ध होगा।

आवेदक संस्था द्वारा दिये गये उक्त तर्क तकनीकी दृष्टिकोण से दिये गये हैं, जो मान्य योग्य है। अतः सेफ्टी जोन ऐसी सीमा पर नहीं रखे गये है जहॉ अन्य खदानों की सीमा लगती हो।

अतः नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लि. का पत्र दिनांक 08/09/2021 एवं वन मंडल अधिकारी, सिंगरौली का प्रतिवेदन पत्र दिनांक 09/09/2021 संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

09/09/2021

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबन्ध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–1 / 823 / 2021 / 10–11 / 3055 भोपाल, दिनांक 09/09/2021

प्रतिलिपिः–

1. वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल, उत्तर सिंगरौली मध्य प्रदेश।

2. महाप्रबंधक, नॉर्दर्न कोलफील्ड्य लि. ब्लॉक–बी परियोजना, पोस्ट–गोरबी, जिला–सिंगरौली

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

09/09/2021

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय
वन मंडल अधिकारी
सिंगरौली (म.प्र.)

E-Mail–dfot.sgl@mp.gov.in फोन नम्बर–07805–233336

क्रमांक/मा0चि0/3854 वैढ़न, दिनांक– 09-09-021

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा
मध्य प्रदेश

विषय– वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढन के ग्राम मुहेर व पड़री के कक्ष क्र. आर.एफ. 276, 281 एवं पी.एफ. 277, 278, 279 के रकवा 622.783 हेक्टेयर वनभूमि में ब्लॉक–बी ओपन कास्ट कोयला उत्खनन हेतु NCL का व्यपवर्तन का आनलाईन प्रस्ताव क्र. FP/MP/MIN/44294/2020

संदर्भ–
(i) भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No. 8-08/2021-FC दिनांक 26.08.2021।
(ii) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल का पत्र क्र0/एफ–1/823/2021/10–11/2037 भोपाल, दिनांक 08.09.2021।

*****

विषयांकित प्रकरण नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड ब्लाक–बी क्षेत्र में माइनिंग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ऑनलाइन प्रस्तावित है। जिसमें वन परिक्षेत्र बैढन अन्तर्गत कक्ष क्रमांक आर.एफ. 276, 281 पी.एफ. 277, 278, 279 कुल रकवा 622.783 हे0 वन भूमि प्रभावित हो रही है।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल के संदर्भित पत्र (ii) से लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के संदर्भित पत्र (i) द्वारा प्रकरण में 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। जिसकी जानकारी निम्नानुसार सादर सम्प्रेषित है:–

बिन्दु क्रमांक 1 :– आवेदक संस्थान से प्राप्त कर संलग्न सम्प्रेषित है।

बिन्दु क्रमांक 2 :– उक्त प्रकरण में प्रभावित वनक्षेत्र वनमण्डल सिंगरौली की कार्य आयोजना में कार्य आयोजना अधिकारी द्वारा हाथी कॉरीडोर के रूप में दर्शाया गया है। विषयांकित एवं इसके आय–पास का क्षेत्र एतिहासिक रूप से हाथी कॉरीडोर रहा है। इस क्षेत्र में खदानों की स्वीकृति एवं अन्य कारणों से कॉरीडोर का विघटन हुआ है एवं पिछले कई वर्षों से यहाँ पर हाथियों की उपस्थिति नहीं पाई गई है। जिसके संबंध में वन परिक्षेत्र अधिकारी बैढ़न के पत्र क्रमांक 1841 दिनांक 09.09.2021 से प्रतिवेदन भी प्राप्त किया गया, जिसमें लेख है कि उक्त परियोजना में प्रभावित वनक्षेत्र एवं आस–पास के वनक्षेत्र में विगत 10 वर्षों से हाथी का विचरण नहीं देखा गया है। मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) म0प्र0 के पत्र क्रमांक/व.प्रा./मा.चि./माइन/6199 दिनांक 12.09.2017 से पूर्व में भी हाथी कॉरीडोर के संबंध में प्रतिवेदन दिया गया है।

बिन्दु क्रमांक 3 :– आवेदक संस्थान से प्राप्त किया गया जिसमें लेख है कि कक्ष क्रमांक पी.एफ. 277 में पूर्व प्रत्यावर्तित की गई वन भूमि का मौके पर बने हुये पिलर के आधार पर पूनः सर्वे किया गया जिसमें 1.45 हे0 वनभूमि पूर्व प्रत्यावर्तित वनभूमि का हिस्सा पाया गया है। जिसकी के.एम.एल. फाइल संशोधित कर संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

9/9

मधु व्ही. राज I.F.S.
वन मंडल अधिकारी
सिंगरौली

पृ.क्रमांक / मा0चि0 / 3855 वैढ़न, दिनांक– 09-09-021

प्रतिलिपि–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) मध्यप्रदेश सतपुडा भवन, म0प्र0 भोपाल की ओर सादर सम्प्रेषित।
2. महाप्रबंधक ब्लाक–बी क्षेत्र नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।

वन मंडल अधिकारी
सिंगरौली

नार्दर्नकोलफील्ड्सलिमिटेड
(एक मिनी-रत्न कम्पनी)
(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)

एन सी एल
NCL

Northern Coalfields limited
(A Mini ratna Company)
(A Subsidiary of Coal India Limited)

कार्यालय महाप्रबंधक, ब्लॉक-बी परियोजना/OfficeofGeneralManager,Block-BProject

Digital India

CIN-U10102MP1985GOI003160
An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company
ब्लॉक-बी, परियोजना,पो:गोरबी जिला:-सिंगरौली (म.प्र.)-486892/Block-B Project, Post-Gorbi, Distt-Singrauli (M.P.) PIN 486892
Phone: 07805-256092, (FAX) 256092 email: gmnclbb@gmail.com website: www.nclcil.in

पत्र क्रमांक: एन.सी.एल./ब्लॉक-बी/स्टाफ अधिकारी(खनन)/वन/2021/ 1065 दिनांक-08.09.2021

प्रति,
श्रीमान, वनमण्डल अधिकारी महोदय
वनमण्डल कार्यालय,वैढन जिला-सिंगरौली (मध्यप्रदेश)

बिषय: Diversion of 622.783 ha. Forest land of Survey No. RF-276, 281 & PF -277, 278, 279, Village- Muher and Padri, Range Waidhan in Singrauli Forest Division for Block-B Expansion Opencast Coal Mining in favor of M/s Northern Coalfields Limited in Singrauli District of Madhya Pradesh (Online No. FP/MP/MIN/44294/2020) - reg.
संदर्भ: Letter no of MoEF&CC.File No. 8-08/2021-FC dtd 26.08.2021

-----00-----

महोदय,

उपरोक्त बिषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत आवेदक संस्थान से संबन्धित बिन्दुवार स्पष्टीकरण निम्नानुसार है:

(I) आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई माईनिंग लीज कुल क्षेत्रफल 2257.17 हेक्ट के अंतर्गत कुल वन भूमि का पुनः सर्वे किया गया है। उपरोक्त लीज में वन भूमि कुल 1078.39 हेक्ट है एवं इसी वन भूमि में पूर्व की प्रत्यावर्तित वन भूमि 447.00 हेक्ट भी शामिल है। अतः **631.39** हेक्ट वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अभी भी शेष बची है।

उक्त तारतम्य में लीज के अंतर्गत शेष बची हुई सम्पूर्ण वन भूमि **631.39** हेक्ट का **KML** सुधार कर पुनः संलग्न किया गया है जिसके अंतर्गत कक्षवार निम्नानुसार वन भूमि शामिल है :

कक्षवार क्षेत्रफल निम्नानुसार है : -

क्रमांक	कक्ष क्रमांक	आवेदित रकबा
1	RF-276	**71.976 (35.839+36.137)**
2	PF-277	**9.70**
3	PF-278	**129.663**
4	PF-279	**214.637**
5	RF-281	**205.416**
कुल क्षेत्रफल		631.39 **हेक्ट**

(III) कक्ष क्रमांक पीएफ़-277 में पूर्व प्रत्यवर्तित की गई वन भूमि का मौके पर बने हुये pillar के आधार पर पुनः सर्वे किया गया है, जिसमें 1.45 हेक्ट वन भूमि पूर्व प्रत्यावर्तित वन भूमि का हिस्सा पाया गया है। तदनुसार KML में आंशिक संसोधन कर दिया गया है।

(IV) Adjoining mining में सेफ़्टी जोन का निर्माण नहीं किए जाने के निम्न कारण है :

a. **Adjoining Mining** की स्थित में सेफ्टी जोन का निर्माण दोनों तरफ से करने पर कोल फेस दोनों तरफ से **Expose** होगा जिससे **Exothermic Reaction** के कारण **Incubation Period** (लगभग 5-6 महीने) के अंदर कोयले में आग लग जाएगी जिसकी बजह से सेफ़्टी जोन में स्थित वृक्ष झुलस के नष्ट हो जाएंगे।

b. सेफ्टी जोन की बजह से **Exposed Coal** में आग लगने के कारण हानिकारक गैसों का रिसाव होगा जिससे पर्यावरण को भी गंभीर नुकसान पहुंचेगा।

c. सेफ्टी जोन की बजह से पूर्ण रूप से कोयला का खनन नहीं किया जा सकता है। तथा कोयला दोनों तरफ से **Exposed** होने के कारण जल जाएगा, जिससे काफी मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला का नुकसान होगा। उक्त स्थित में **Exposed** कोयला का खनन नहीं करना प्राकृतिक संसाधनों के विरुद्ध होगा।

अत: उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार संसोधित KML (631.39 ha)।

भवदीय

महाप्रबंधक

एनसीएल, ब्लॉक-बी क्षेत्र

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष- भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
2. महाप्रबंधक (वन), एनसीएल मुख्यालय सिंगरौली (मध्यप्रदेश)